

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।**

Email ID: serw@nalanda@gmail.com.

Mob: 8986915938

पत्रांक: ८९५

नालन्दा, दिनांक: ०५/०९/२०२४

प्रेषक,

ई० राजीव कुमार,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

सेवा में,

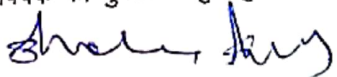
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हरनौत।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के अधीन शीर्ष-मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) योजनान्तर्गत Pkg No. MGSY/24-25/Harnaut/03 (Tender ID-141465) का पुल निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।
प्रसंग:- मुख्य अभियंता-१, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-मु०अ०-१/निविदा-०७-१७९/२०२५-१६८६ पटना, दिनांक-०४.०९.२०२५,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के अधीन शीर्ष-मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) योजनान्तर्गत Pkg No. MGSY/24-25/Harnaut/03 (Tender ID-141465) का पुल निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य आपके अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Ms Shailendra Kumar. (BID ID-618422) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -८.९३ (आठ दशमलव नौ तीन) प्रतिशत कम पर अर्थात् 2,85,33,862.00 (दो करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार आठ सौ बासठ) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

- कार्य का निष्पादन शीर्ष-मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) योजनान्तर्गत के मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
- निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वादाहरण नहीं होगा।
- संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए CMBD की कंडिका 34.1 के अनुरूप Performance Security के लिए तथा निविदा के समय CMBD की कंडिका 17.1 के अनुरूप Bid Security के लिए जमा की गई राशि का सत्यापन संबंधित बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
- एकरारनामा से पूर्व निविदाकार द्वारा समर्पित निविदा दस्तावेजों की विधिवत् जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। जाँच प्रक्रिया में कम से कम समय लगे, इसका ख्याल रखा जाय। बिना जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये एकरारनामा नहीं किया जाय। एकरारनामा पश्चात् कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।
- कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय इसमें कमी पाई जाती है, तो उसके दर में सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
- इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरांत एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी।
- बिंदुमिन दुलाई का भुगतान वास्तविक दूरी से दुलाई या प्राक्कलन में स्वीकृत लीड दोनों में जो कम होगा, संवेदक को भुगतान हेतु अनुमान्य होगा।




18/11

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Harnaut

18/11/25

10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
11. कार्याभ्यास के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्यस्थल के निरीक्षणोंपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्चर्य हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारनामित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो कि एकरारनामा का भाग होगा।
13. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर कार्य पूरा की जाए।
14. कार्य समाप्ति की अवधि एन0आई0टी0/CMBD के अनुसार होगी।
15. सफल संवेदक के साथ CMBD की कडिका-33.1 एवं 33.2 के अनुसार एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कराया जायेगा। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को CMBD की कडिका 33.2 के अनुसार एक निश्चित समय सीमा दी जायेगी और उसके अंदर सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थिति नहीं होने पर एकरारनामा के शर्तों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जायेगी।
16. इस कार्य का व्यय शीर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) अंतर्गत की गई उपबंधित राशि से विकलित होगा।
17. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की पौचवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।
18. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्चर्य हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
19. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत् निबंधन कराना आवश्यक होगा।
20. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जाँचोपरांत आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
21. विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
22. प्रासंगिक पत्र में दिये गये संलग्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(ई0 संजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता

ज्ञापक-895

नालन्दा/दिनांक-04/09/25

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा।

प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

अधीक्षण अभियंता

ज्ञापक-895

नालन्दा/दिनांक-04/09/25

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा।

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा।

Executive Engineer
R.W.D. Works-Division
Bihar

